



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276580
CG-DL-E-29092026-276580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4952]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4952]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5158(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में NH91A के कि.मी. 0.000 से कि.मी.40.000 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन/टोल प्लाजा का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिलाधिकारी, इटावा को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में NH91A के कि.मी. 0.00 से कि.मी.40.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: इटावा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बिधूना					
गांव का नाम: बैबहा					
1	1182	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.2184 (हेक्टेयर)	0.2184
2	1183	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
3	1186	निजी	कृषि	0.2467 (हेक्टेयर)	0.2467
4	1187	निजी	कृषि	0.0644 (हेक्टेयर)	0.0644
5	1188	सरकारी	(सार्वजनिक निर्माण स्थल)	0.0132 (हेक्टेयर)	0.0132
6	1189	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.0298 (हेक्टेयर)	0.0298
7	1190	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.0653 (हेक्टेयर)	0.0653
8	1191	निजी	कृषि	0.1657 (हेक्टेयर)	0.1657
9	1192	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.2921 (हेक्टेयर)	0.2921
10	1193	निजी	कृषि	0.0352 (हेक्टेयर)	0.0352
11	1194	निजी	कृषि	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
12	1249	निजी	कृषि	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
13	1250	निजी	कृषि	0.0537 (हेक्टेयर)	0.0537
14	1251	सरकारी	(ऊसर)	0.1334 (हेक्टेयर)	0.1334
15	1252	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.1269 (हेक्टेयर)	0.1269
16	1253	निजी	कृषि	0.1851 (हेक्टेयर)	0.1851
17	1254	निजी	कृषि	0.0924 (हेक्टेयर)	0.0924
18	1255	सामान्य	(सार्वजनिक निर्माण स्थल /कृषि)	0.4515 (हेक्टेयर)	0.4515

19	1256	निजी	कृषि	0.0438 (हेक्टेयर)	0.0438
20	1257	निजी	कृषि	0.0521 (हेक्टेयर)	0.0521
गांव का नाम: गनपुर					
21	1765	निजी	(बंजर)	0.0287 (हेक्टेयर)	0.0287
22	1767	निजी	कृषि	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
23	1768	सरकारी	(सड़क)	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
24	2265	सरकारी	(चकमार्ग)	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
25	2267	निजी	कृषि	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
Total					2.3806

[फा. सं. NH-91A-UP-2019-20-577/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5158(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning & Toll Plaza etc.), maintenance, management and operation of NH-91A in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 40.000 in the district of ETAWAH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate, Etawah in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH91A in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 40.000 in the district of ETAWAH in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: ETAWAH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Bidhuna					
Village: Baibaha					
1	1182	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.2184 (Hectare)	0.2184

2	1183	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
3	1186	Private	Agriculture	0.2467 (Hectare)	0.2467
4	1187	Private	Agriculture	0.0644 (Hectare)	0.0644
5	1188	Government	(Sarvjanik nirman sthal)	0.0132 (Hectare)	0.0132
6	1189	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.0298 (Hectare)	0.0298
7	1190	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.0653 (Hectare)	0.0653
8	1191	Private	Agriculture	0.1657 (Hectare)	0.1657
9	1192	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.2921 (Hectare)	0.2921
10	1193	Private	Agriculture	0.0352 (Hectare)	0.0352
11	1194	Private	Agriculture	0.0072 (Hectare)	0.0072
12	1249	Private	Agriculture	0.0405 (Hectare)	0.0405
13	1250	Private	Agriculture	0.0537 (Hectare)	0.0537
14	1251	Government	(Usar)	0.1334 (Hectare)	0.1334
15	1252	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.1269 (Hectare)	0.1269
16	1253	Private	Agriculture	0.1851 (Hectare)	0.1851
17	1254	Private	Agriculture	0.0924 (Hectare)	0.0924
18	1255	Common	(Sarvjanik nirman sthal/Agriculture)	0.4515 (Hectare)	0.4515
19	1256	Private	Agriculture	0.0438 (Hectare)	0.0438
20	1257	Private	Agriculture	0.0521 (Hectare)	0.0521
Village: Ganupur					
21	1765	Private	(Banjar)	0.0287 (Hectare)	0.0287
22	1767	Private	Agriculture	0.0103 (Hectare)	0.0103
23	1768	Government	(SADAK)	0.0048 (Hectare)	0.0048
24	2265	Government	(Chakmarg)	0.01 (Hectare)	0.01
25	2267	Private	Agriculture	0.0024 (Hectare)	0.0024
Total					2.3806

[F. No. NH-91A-UP-2019-20-577/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director